

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

रामदेव

बनाम

ग्याली देवी

मुकदमा संख्या- 41/207/2015

वाद

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

12/2/24

व. नं. 34. प्री. पत्र 02224 पर नम  
द्वारा 5 लिमिटेड के पत्राव देव  
न्यायिक अदालत-देने के बावजूद  
पत्राव पेश नहीं किया गया। प्री. पत्र  
पत्राव बन्द किया जाकर सीधी  
बंदन प्री. पत्र सुनी गयी। अदालत  
पर मनम किया गया। प्री. पत्र न  
अपलोकन किया गया। प्री. पत्र 02224  
पर नम द्वारा 5 लिमिटेड स्विकार  
किया जाता है पत्रावली वास्तु पेश  
करने संशोधित सिपिक देव दिनांक  
21/3/24 के पेश है।

01/3/24

वाडी मम अधिवक्ता के उपस्थित बैठक  
पत्रावली तलबी न प्री. पत्र पेश करने  
पर पत्रावली तलब की गयी। वाडी-  
अधिवक्ता ने प्री. पत्र वाड विद्वा न  
पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली  
के मध्य राजीनामा है गया तथा  
मंत्रालय के आगे नयी चलाया जाहदा  
वाड विद्वा के अनुमति हेतु निवेदन किया  
प्री. पत्र व पत्रावली न अपलोकन  
किया गया। वाड विद्वा के अनुमति  
जाती है वाडी के पहचान-उपके अधिवक्ता  
नपर सिपिक न्यायालय के है। पत्रावली  
विद्वा के आधार पर न्यायिक के पत्राव  
है पत्रावली दुर्ग नमबर 4 नम केकर  
अखिल इच्छ है।

रामदेव  
20/2/24  
20/2/24  
(अधिवक्ता)  
1-3-24

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)